न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 266/2022

जवाहरलाल गुप्ता उम्र 73 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी सुलताना, हाल टिल्ली मन्दिर के पास, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

——आवेदक

बनाम

1. श्री संदीप चौधरी, उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी सुलताना जरिये पुजारी
4. हाजी हकीमूदीन पुत्र सफी, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदकगण

— — —

अन्तरण प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 मुकदमा उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह मु0नं0 180/2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा प्रकरण वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

— — —

उपस्थितः—

1. श्री दलीप कुमार सैनी, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट— अनावेदक सं0 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 06.10.2022

अन्तरण प्रार्थना निम्न प्रकार से पेश है कि निम्न वर्णित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां लम्बित है :—

मु0 उनवानी — जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार
मु0नं0 — 180/2017
प्रकरण — वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
आगामी पेशी — 28/07/2022

प्रार्थी आवेदक ने उक्त उपखण्ड अधिकारी चिड[illegible] राजस्थान सरकार व मूर्ति मंदिर के विरूद्ध पेश किया था जिसमें प्रार्थी को गवाह हेतु [illegible]श करने थे परन्तु अप्रार्थी नं0 4 हाजी हकीमुदीन ने एक प्रार्थना पत्र अ0 आदेश [illegible] 12.04.2022 को पेश किया पर प्रार्थी को अ0 आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जबाब हेतु दिनांक 18.04.2022 को आगामी तारीख पेशी दी गई। प्रार्थी/आवेदक की ओर से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिडावा को कहा गया [illegible] को नियमित रूप से तारीख दी जावे लेकिन पीठासीन अधिकारी श्री स[illegible] चौधरी ने गुस्सा कर[illegible] 18.04.2022 को पत्रावली जबाब में लगा दी। दिनांक 18.04.2022 को अनावेदक नम्बर 4 जो ग्राम पंचायत सुलताना का पूर्व सरपंच है ने आवेदक को धमकी दी की हमारी अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

25

बात हो चुकी है। आवेदक ने अनावेदक नं0 4 को अनावेदक नं0 1 के घर से बाहर आते जाते देखा है तथा चैम्बर में भी आते जाते देखा है। अनावेदक नं0 4 ने आवेदक को कहा कि हमारा प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होगा हमारी बात हो चुकी है। अनावेदक नं0 4 उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहा अन्य कई प्रकरणो में भी अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये है जिसमे ज्यादातर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये है। मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण में अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी की मानसिकता उक्त प्रकरण पत्र अ0 धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करने की रही है तथा तारीख पेशी भी अधिकतर 7–7 दिवस की दी है तथा दिनांक 28.07.2022 को लगा दी। उपरोक्त प्रकार से अनावेदक नं0 4 द्वारा दी गई धमकी व अनावेदक नम्बर 1 की मानसिकता को देखते हुये आवेदक को अनावेदक नं0 1 से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नही है। इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि मौजूदा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित दावा उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य न्यायालय में अंतरित कि जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक 650 दिनांक 09.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। बिन्दू सं0 2 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। बिन्दू सं0 3 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। शेष प्रश्न मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 मे दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाता है। बिन्दू सं0 4 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है और प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप गलत होने पर अस्वीकार है और उक्त प्रकरण मे देरी करना चाहता है। और शेष प्रश्न मे अगर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है। बिन्दू सं0 5 व 6 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक द्वारा उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि चिडावा के यहां लम्बित है मु0 उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार मु0नं0 180/2017 प्रकरण बाबत वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मे प्रार्थी आवेदक ने उक्त उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां एक वाद प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार व मूर्ति मंदिर के विरूद्ध पेश किया था जिसमें प्रार्थी को गवाह हेतु शपथ पत्र पेश करने थे परन्तु अप्रार्थी नं0 4 हाजी हकीमुदीन ने एक प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 दिनांक 12.04.2022 को पेश किया पर प्रार्थी को अ0 आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जबाब हेतु दिनांक 18.04.2022 को आगामी तारीख पेशी दी गई। प्रार्थी/आवेदक की ओर से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिडावा को कहा गया कि प्रार्थी को नियमित रूप से तारीख दी जावे लेकिन पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी ने गुस्सा करके दिनांक 18.04.2022 को पत्रावली जबाब में लगा दी। दिनांक 18.04.2022 को अनावेदक नम्बर 4 जो ग्राम पंचायत सुलताना का पूर्व सरपंच है ने आवेदक को धमकी दी की हमारी अनावेदक नम्बर [illegible] अधिकारी से बात हो चुकी है। आवेदक ने अनावेदक नं0 4 को अनावेदक नं0 1 के घर से [illegible] आते जाते देखा है तथा चैम्बर में भी आते जाते देखा है। अनावेदक नं0 4 ने आवेदक को कहा कि हमारा [illegible] पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होगा हमारी बात हो चुकी है। [illegible] अधिकारी चिडावा के यहा अन्य कई प्रकरणो में भी अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 [illegible] पत्र पेश किये है जिसमे ज्यादातर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये है। मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण में अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी की मानसिकता उक्त प्रकरण पत्र अ0 धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करने की रही है तथा तारीख पेशी भी अधिकतर 7–7 दिवस की दी है तथा दिनांक 28.07.2022 को लगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

(26)

दो। उपरोक्त प्रकार से अनावेदक नं0 4 द्वारा दी गई धमकी व अनावेदक नम्बर 1 की मानसिकता को देखते हुये आवेदक को अनावेदक नं0 1 से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नही है। इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित दावा उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य न्यायालय में अंतरित कि जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

वकील अप्रार्थी सं0 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया तथा कथन किया कि प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मु0 उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार मु0नं0 180/2017 प्रकरण बाबत वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा मु0 उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार मु0नं0 180/2017 प्रकरण बाबत वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के न्यायालय में दिनांक 03.11.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested